मु०नं० 120/2021 प्रेमराम / जीवताराम वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म के मे जारी हुए
18/3/25	पत्रा० पेश हुई, अधि० उप० [illegible] एक माह [illegible] अधिक होने से पुनः बहस [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
27/3/25	पत्रा० पेश हुई। अधि० उप० पुनः बहस हेतु पत्रा० दिनांक 28/4/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर काम में व्यस्त, वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आगामी 13/5/2025 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई अधि० उप० पुनः मसौदा बहस हुई गई पत्रावली अगले पुराने आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। (रविप्रकाश RAS) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)	
28/05/25	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर काम में व्यस्त, वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आगामी 10/06/2025 को पेश हो।	
10/06/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली मय डायरी, जवाब दा० पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस अधि० उभयपक्ष पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र धारा 312 राज० काश्त० अधि० बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षगण को ताउम्र बाद जरिए अस्थाई व्यवस्था से रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली मुसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील अपील फैसल शुमार हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण (ब्यावर)	